



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल-16
Phone:pbx:0755-2464428,fax:0755-2463742 e-mail:it_mppcb@rediffmail.com

कमांक

/तक/प्रनिबो/2019,

भोपाल, दिनांक

// कार्यालय आदेश //

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने का संकल्प लिया गया है। भारत सरकार द्वारा लिये गये संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जाता है। कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुएँ, प्लास्टिक कैंरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक प्लावर, प्लावर पार्ट, बैनर, झंडे, पैट बाटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रा, फोर्कस, स्पून्स, पाउच/शेसे आदि तथा थर्मोकोल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

पृ.कमांक 1385 /तक/प्रनिबो/2019,

भोपाल, दिनांक 11-4-19

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने बावत्।
4. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/ इन्दौर/ धार/ पीथमपुर/ देवास/ उज्जैन/ गुना/ ग्वालियर / सागर/ एसईजेड (पीथमपुर)/ सतना/ रीवा/ सिंगरौली/ कटनी/ जबलपुर/ छिंदवाड़ा/ शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव